

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 14/2021

प्रार्थी
सुरेन्द्र प्रकाश पुत्र पुखराज
भाटी जाति माली निवासी
ग्राम पादूकलां तहसील
रियाबडी।

वनाम

अप्रार्थीगण

- 1 ग्राम पंचायत पादूकला पंचायत समिति रियाबडी जरिये सचिव, ग्राम पंचायत पादूकलां तहसील रियाबडी जिला नागौर।
- 2 सरपंच, ग्राम पंचायत पादूकलां तहसील मेडता सिटी जिला नागौर।
- 3 सिराजुदीन पुत्र शखावत हुसैन जाति मुसलमान व्यापारी निवासी पादूकलां तहसील रियाबडी जिला नागौर।
- 4 रईसन बानो पत्नी शखावत हुसैन जाति मुसलमान व्यापारी निवासी पादूकलां तहसील रियाबडी जिला नागौर।
- 5 हिदायत हुसैन पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान व्यापारी निवासी पादूकलां तहसील रियाबडी जिला नागौर।
- 6 शहाबुदीन पुत्र शफी मोहम्मद जाति मुसलमान व्यापारी निवासी पादूकलां तहसील रियाबडी जिला नागौर।
- 7 इन्साफ अली पुत्र शफी मोहम्मद जाति मुसलमान व्यापारी निवासी पादूकलां तहसील रियाबडी जिला नागौर।

उपस्थिति-

- 1 श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
- 2 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 04 से 07 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 14.09.2022

1- यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पादूकलां द्वारा मिसल संख्या 147 दिनांक 14.10.1986 के जरिए पट्टा सं. 121 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.04.2021 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 16.04.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे हैं तथा अप्रार्थी संख्या 04 से 07 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा सं. 121 की फोटोप्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत पादूकलां के पत्र क्रमांक 61 दिनांक 09.03.2021 की प्रति, रसीद उप पंजीयक की फोटोप्रति, अनापति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, बेचाननामा की फोटोप्रति, संपरिवर्तन आदेश की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, अधिशाषी अभियंता के पत्र क्रमांक 2638 की फोटोप्रति पेश की गई तथा अप्रार्थी संख्या 04 से 07 की ओर से पंचायत निगरानी संख्या 46/11 सम्पूर्ण पत्रावली की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.), मेडता के निर्णय दिनांक 23.01.2008 की फोटोप्रति, कार्यालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति रियाबडी के निर्णय दिनांक 13.07.11 की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश मेडता के निर्णय दिनांक 23.12.15 की फोटोप्रति, डिक्री पर्चा दिनांक 02.01.16 की फोटोप्रति, राजीनामा की फोटोप्रति, पत्रावली संख्या 01/2006-2007 की फोटोप्रति, रसीद दिनांक 15.01.87 की फोटोप्रति, तहसीलदार रियाबडी की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2021 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत पादूकलां द्वारा रेकॉर्ड उपलब्ध होना नहीं बताया गया।

2- उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि -

2(1)- ग्राम पंचायत पादू कलां के द्वारा पारित संकल्प/प्रस्ताव संख्या-12 दिनांक 15.01.1987 एवं इसके आधार पर जारी पट्टा संख्या 121 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं इसके तहत बने आज्ञापक प्रावधानों व तत्कालीन कानूनों के विपरीत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करने, अधिकार क्षेत्र से परे अर्थात् शक्ति बाह्य होने एवं विधिनुकूल नहीं होने से प्रथम दृष्टया गलत व अवैध होने से निरस्त होने योग्य है।

2(2)- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं इसके तहत बने राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम, 1961 के नियमों में पंचायत की स्थावर सम्पतियों के सम्बन्ध में आज्ञापक प्रावधान किये गये हैं। उपरोक्त प्रावधानों की पालना किये बिना कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस्तमत प्रकरण में उपरोक्त आज्ञापक प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गयी है और इस कारण उक्त प्रस्ताव आदेश व पट्टा जैर पुनरीक्षण याचिका खारिज होने योग्य है।

2(3)- राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम, 1961 के तहत आबादी भूमि की बिक्री एवं आवंटन के लिए आज्ञापक नियम बने हुए हैं, में पट्टा हेतु आवेदन पेश होने के संबंध में व्यवस्था की गयी है। नियम 256 के तहत कोई भी व्यक्ति पंचायत से कोई आबादी भूमि खरीदना चाहता है तो पंचायत को लिखित रूप में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उस भूमि का ऐसा वर्णन होना चाहिये जो खरीदी जाने के लिये प्रस्तावित भूमि को पहचानने के लिये पर्याप्त हो। जिसके अनुसार ही आवेदन प्रस्तुत होगा और इसके लिए विहित फीस भी है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ है और न ही आवेदन फीस का भुगतान किया गया है इस प्रकार विधिअनुसार आवेदन प्रस्तुत नहीं होने एवं आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं होने के आधार से ही आलौच्य प्रस्ताव व पट्टा खारिज होने योग्य है।

2(4)-राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम, 1961 के नियम 256(2) के तहत आवेदक आवेदन-पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने के लिये 2/- रुपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा और इस मामले में एक फाइल कायम की जावेगी। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई आवेदन ही पेश नहीं हुआ और खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु भी राशि जमा नहीं करवायी गयी है।

2(5)- आवेदन-पत्र के साथ भूमि का नक्शा तैयार करने के लिए राशि का भुगतान करने के पश्चात् नियम 257 (2) के अनुसार एक नक्शा किसी योग्य व्यक्ति द्वारा तैयार करवाया जावेगा। नियम 257 (5) के अनुसार तैयार किये गये नक्शे में बेची जाने वाली भूमि को लाल स्याही द्वारा बतायी जावेगी तथा उस पर आवेदक के तथा नक्शा तैयार करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। चूंकि उक्त प्रकरण में आवेदन भी पेश नहीं हुआ, नक्शा राशि भी जमा नहीं हुई। जिसके कारण आगामी प्रक्रिया नक्शा भी किसी भी योग्य व्यक्ति के द्वारा न तो तैयार किया गया और न ही उस पर आवेदक व तैयार करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हुए हैं।

2(6)- नियम 258 के तहत तीन पंचों से स्थल निरीक्षण करने का प्रावधान है जो उप नियम (1) के अधीन क से ख में अपनी रिपोर्ट देगी। हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टा जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत पादू कलां के द्वारा तीन पंचों को स्थल निरीक्षण करने के लिए नियुक्त भी नहीं किया गया और न ही पंचों की कमेटी के द्वारा रिपोर्ट तैयार करके ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की गयी है।

2(7)- पंचों के द्वारा तैयार की जाने वाली मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत को नियम 259 के तहत अनन्तिम विनिश्चय पारित करना चाहिये। चूंकि ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्ववर्ती नियमों की कोई पालना भी नहीं की गयी जिससे पंचों की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई और न ही ग्राम पंचायत के द्वारा अनन्तिम विनिश्चय पारित किया गया है।

2(8)-ग्राम पंचायत के द्वारा अनन्तिम विनिश्चय पारित किये जाने के बाद नियम 260 के अनुसार आपत्ति नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है व उजरदारी प्रस्तुत होने पर आपत्तिकर्ता को सुना जाना भी अपेक्षित है। ऐसे आपत्ति नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चर्चा करनी चाहिये थी। ग्राम पंचायत पादू कलां के द्वारा नियम 260 के अनुसार आपत्ति नोटिस जारी नहीं किये गये। जिससे भी आलौच्य प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है।

2(9)-राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम, 1961 के नियम 261 के अनुसार आपत्तियों का निपटारा किया जाकर नियम 262 के तहत नीलामी की जावेगी तथा नीलामी की कार्यवाही होने के बाद में उसे नियम 265 के तहत स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। चूंकि इस प्रकरण में पूर्ववर्ती समस्त प्रकार के प्रावधानों की पालना भी नहीं की गयी है और आपत्ति नोटिस जारी नहीं किये जाने से नियम 261 के अनुसार आपत्तियों को निस्तारण भी नहीं किया गया और नियम 262 के तहत नीलामी किया जाना आज्ञापक है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई नीलामी नहीं की गयी और नीलामी की कार्यवाही नहीं किये जाने के बाद भी उसको नियम 265 के तहत स्वीकृति तक नहीं ली गयी है। जिससे भी सम्पूर्ण प्रक्रिया दूषित होने से पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(10)- नियम 266 के तहत जहां किन्ही व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षों से कम का है, वहां विद्यमान बाजार कीमत का एक तिहाई भाग ओर जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है, वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित (वसूल) किया जावेगा। मगर अप्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षों से कम होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत ने उक्त आज्ञापक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया को बिना अपनाये एवं मिसल कायम किये बिना पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियमों में पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता का मूल रेकर्ड से पुनरीक्षण करने का प्रावधान है।

2(11)- हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत पादू कलां ने पट्टे से संबंधित मिसल, कार्यवाही रजिस्टर एवं पट्टा रजिस्टर की नकल उपलब्ध नहीं करायी है। प्रार्थी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करके ग्राम पंचायत पादू कलां से विवादित पट्टे से संबंधित सम्पूर्ण रिकॉर्ड की नकल की मांग किये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पादू कलां ने अपने पत्र दिनांक 09.03.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया कि उसके द्वारा वांछित पट्टे के संबंध में एवं उक्त पट्टे की मिसल के संबंध में कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

2(12)-अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अप्रार्थी संख्या -3 के पिता, अप्रार्थी संख्या 4 के पति व अप्रार्थी संख्या 5 व 7 के हक में जो पट्टा संख्या 121 जारी करने के लिए प्रस्ताव संख्या -12 दिनांक 15.01.1987 पारित किया है उसमें अप्रार्थी संख्या 3 के पिता, अप्रार्थी संख्या 4 के पति व अप्रार्थी संख्या 5 व 7 का कब्जा सुद मकान होना माना है जबकि पट्टे में वर्णित भूमि पर मौके पर किसी भी प्रकार का पुराना मकान नहीं है और आज भी मौके पर भूमि खाली पड़ी है। अप्रार्थी संख्या 03 से 07 का इस भूमि पर सहपरिवार निवास करने और पिढियों पुराना एवं मकान होने के तथ्य पूर्णतया गलत व असत्य है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा गलत अनुचित व अवैध प्रकार से अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए खाली भूमि के संबंध में और अप्रार्थी संख्या 3 से 7 मौके पर पुराना निवास नहीं होते हुए भी राज्य सरकार को लाखों रुपये के राजस्व नुकसान पहुंचाते हुए जो पट्टा जारी किया गया है वो पूर्णतया गलत अनुचित व अवैध है और राजस्थान पंचायती राज नियम क प्रावधानों के खिलाफ होने से खारिज होने योग्य है।

2(13)-अप्रार्थी हिदायत हुसैन की आयु वर्तमान में करीब 60 वर्ष, शहाबुद्दीन की आयु करीब 50 वर्ष, इसाफ अली की आयु करीब 61 वर्ष है और इनके द्वारा वर्ष 1986 में अर्थात् आज से करीब 35 वर्ष पूर्व इनकी आयु करीब क्रमशः 25 वर्ष, 15 वर्ष और 26 वर्ष थी। इनका इस विवादित भूमि पर 20 से 40 वर्ष पुराना कब्जा व आवासीय मकान के रूप में कब्जा होना मानकर उनमें रहवास मानकर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित करते हुए पट्टा जारी किया है जबकि मौके पर भूमि खाली होने और किसी भी प्रकार का मकान का निर्माण नहीं होने तथा अप्रार्थी संख्या तीन से सात का निवास प्रमाणित नहीं है और इनकी आयु के अनुसार इनका 20 से 40 वर्ष का कब्जा होने के तथ्य भी पूर्णतया असत्य प्रमाणित हो जाते हैं। जिससे भी आलौच्य प्रस्ताव व निर्णय खारिज होने योग्य है।

2(14)- हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें दक्षिणी तरफ की भूमि मेडता से अजमेर जाने वाली सड़क है, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड मेडतासिटी के क्षेत्राधिकार की भूमि है। पट्टे में वर्णित भूमि की पूर्वी भुजा 17 फीट पश्चिमी भुजा 15 फीट बतायी गयी है। इसके अलावा उत्तरी व दक्षिणी भुजा 72 फीट है। इस प्रकार यह भूमि सा.नि.वि. के तहत बनी सड़क के चिपते ही दक्षिण से उत्तर 15 फीट व 17 फीट बतायी गयी है इस प्रकार यह भूमि पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क सीमा में आती है और ऐसी भूमियों के संबंध में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत पादू कलां के तत्कालीन सरपंच के द्वारा गलत व अवैध प्रकार से ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से परे भूमि के बाबत भी पट्टा जारी कर दिया। जिससे भी उक्त आलौच्य प्रस्ता व पट्टा इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

2(15)- अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा जो आलौच्य संकल्प पारित करके अप्रार्थी संख्या 3 से 7 के हक में जिस भूमि के संबंध में पट्टा जारी किया गया है वस्तुतः उक्त पट्टे में वर्णित भूमि ग्राम पंचायत पादू कलां के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की भूमि कभी भी नहीं रही है जिससे उपरोक्त पट्टे में वर्णित भूमि को निस्तारण, विक्रय, आवंटन, नियमन आदि करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत पादू कलां को प्राप्त नहीं था व है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत पादू कलां के द्वारा गलत अनुचित व अवैध प्रकार से अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अप्रार्थी संख्या 3 से 7 के हक में पट्टा जारी किया है जो कि पूर्णतया विधि विरुद्ध होने से इस आधार से ही आलौच्य प्रस्ताव/संकल्प व इस आधार पर जारी पट्टा खारिज होने योग्य है।

2(16)- अप्रार्थी संख्या 3 से 7 के नाम से जारी पट्टे में वर्णित भूमि का मौके पर कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि मेडता से अजमेर जाने वाली सड़क के उत्तरी तरफ मांगूराम पुत्र तिलोकचंद रेगर निवासी पादू कलां की भूमि थी। जो भूमि ग्राम पादू कलां के खसरा संख्या 979, 980, 981 की भूमि रही है, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1909 व 1910 है। मांगूराम के द्वारा अपने खातेदारी स्वामित्व की उपरोक्त भूमि में से 80 गुणा 80 फीट कुल 6400 वर्ग फीट भूमि को प्रार्थी व नेमराज, देवीलाल, उच्छबकंवर व गजानन्द को बेचान की थी। जिसका बेचाननामा कार्यालय उप पंजीयक रियां वडी के समक्ष दिनांक 16.08.1999 को विधिवत रूप से पंजीबद्ध है। इस प्रकार खसरा संख्या 979, 980, 981 हाल खसरा संख्या 1909, 1910 ग्राम पादू कलां के दक्षिणी तरफ आम सड़क स्थित है और उपरोक्त खसरान की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार कभी नहीं रहा है। ग्राम पंचायत के द्वारा अपने में भूमि निहित नहीं होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 3 से 7 के नाम से पट्टा अवैधानिक प्रकार से जारी किया है, जिससे भी आलौच्य संकल्प व पट्टा खारिज होने योग्य है।

2(17)- अप्रार्थी संख्या 3 से 7 के नाम से जारी पट्टे में वर्णित भूमि को गलत प्रकार से लोकेट करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि मेडता से अजमेर जाने वाली सड़क के उत्तरी तरफ सड़क सीमा के बाद में जो भूमि है वो भूमि प्रार्थी व अन्य परिवारजनों की खरीदसुदा स्वामित्व कब्जे की भूमि है और प्रार्थी की भूमि के दक्षिणी तरफ जो भूमि है वो भूमि सड़क सीमा की भूमि है परन्तु अप्रार्थी संख्या 3 से 7 बाहुबल, राजनैतिक व धनवान व्यक्ति है जो अपने नाम से जारी गलत व अवैध पट्टे की आड में प्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा करने फिराक में है और इस कारण प्रार्थी इस अवैध पट्टे में बतायी जा रही भूमि से हितबद्ध व्यक्ति है और इस कारण प्रार्थी के द्वारा उक्त पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार होने से यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई।

3- पकील अप्रार्थी संख्या 04 से 07 की ओर से अपनी बहस में बताया कि-

3(1)- प्रार्थी ने उक्त निगरानी गलत आधारों पर बिना अधिकार के पेश की है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत पादूकलां द्वारा प्रस्ताव संख्या 12 के द्वारा जो पट्टा संख्या 121 जारी किया गया है वह पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधि. के इसके तहत बने राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए पारित किये गये हैं जो पूर्ण रूप से वैध व उचित है तथा समस्त आज्ञापक प्रावधानों व नियमों की पालना की गई तथा नियम 256 की पूर्ण रूप से पालना की गई एवं 257, 258, 259, 260, 262 की पूर्ण रूप से पालना करते हुए प्रस्ताव व पट्टा जारी किया गया है। इस हेतु विधिवत रूप से आवेदन पेश होकर तत्पश्चात सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना की गई तथा पट्टा पत्रावली संधारित करते हुए आपति नोटिस जारी करते हुए मौका निरीक्षण इत्यादि करने एवं समुचित कार्यवाही के पश्चात ही पट्टा जारी किया गया है तथा जो निर्धारित राशि तय की गई वह राशि विधिवत रूप से दिनांक 15.01.1987 को ही रसीद संख्या 64 के जरिए ग्राम पंचायत पादूकलां में जमा करवायी गई जो विधिवत रूप से जमा होकर रसीद जारी की गई है। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव व पट्टा विधिवत रूप से विधिक प्रावधानों के अनुसार जारी किये गये हैं जो किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है।

3(2)-पत्रावली एवं दस्तावेज संधारित करने व उन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व ग्राम पंचायत का है। यदि ग्राम पंचायत ने मिसल व दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो इस आधार पर पट्टा व प्रस्ताव अवैध एवं नियमों के विपरीत प्रमाणित नहीं हो जाता है व न ही प्रस्ताव व पट्टा अवैध प्रकार से अथवा फर्जी तरीके से जारी किया हुआ प्रमाणित नहीं हो जाता है। इसलिए जो निगरानी पेश की गई है वह गलत आधारों पर पेश की गई है।

3(3)-जिस जगह का पट्टा जारी किया गया उस जगह पर पुरानी तामिरात वक्त पट्टे से काफी वर्षों पहले के बने हुए थे जो तामिरात पूर्वजों के समय से थे। कालान्तर में क्षतिग्रस्त होने से तामिरात नष्ट हो गये। वर्तमान में उक्त जायगा में निर्माण किया हुआ है जिसमें अप्रार्थीगण सपरिवार निवास करते हैं व जिस समय पट्टा जारी किया गया उस समय मौके पर तामिरात मौजूद थे तथा पुराना निवासी भी था इसलिए पट्टा पूर्ण रूप से बाद जांच पुराना निवास व कब्जा मानते हुए ही नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विधिवत रूप से जारी किया गया है जो पट्टा व प्रस्ताव वैध है।

3(4)- विवादित स्थल पर पुराना कब्जा व आवासीय मकान पूर्वजों के समय का था व इसी आधार पर पुरातन कब्जा पीढियों से होने के आधार पर पट्टा आवेदन पेश किया गया तथा बाद जांच पुरातन कब्जा पीढियों से होना मानते हुए ही पट्टा जारी किया गया है। केवल मात्र आयु कम होने के आधार पर पीढियों पुराना कब्जा नहीं हो यह नहीं माना जा सकता है। क्योंकि पुरातन कब्जा पीढी दर पीढी माना जाता है व पीढी दर पीढी कब्जा होता है तो विधि अनुसार पुरातन कब्जा ही माना जायेगा तथा कब्जा अप्रार्थीगण के पिता के समय का रहता आया है इसलिए पट्टा विधि अनुसार बाद जांच जारी किया गया है जो सही प्रकार से जारी किया गया है।

3(5)-उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड मेडतासिटी क्षेत्राधिकार की नहीं है व न ही पी.डब्ल्यू.डी. की सडक सीमा में आती है जिस समय पट्टा जारी किया गया उस समय मौके पर पी.डब्ल्यू.डी की कोई सडक स्थित नहीं थी व न ही मेडता से अजमेर जाने वाली सडक स्थित थी बल्कि रास्ता अवश्य था जहां पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार था जो सडक बनी हुई है वह सडक उस समय उक्त भूमि से काफी दूर स्थित थी वर्तमान में सडक की चौड़ाई बढ़ायी गई है परन्तु आज दिन भी भूमि सडक सीमा में नहीं आती है बल्कि सडक सीमा के बाहर ग्राम पंचायत का नाला बना हुआ है जो नाला भी अप्रार्थीगण के स्वामित्व की उक्त पट्टासुदा भूमि में से ही बना है उसके अन्दर उक्त भूमि है जो किसी भी प्रकार से सडक सीमा में नहीं है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि है जिसका सही पट्टा जारी किया गया है। भूमि आबादी भूमि में स्थित रही है। इसलिए जो पट्टा जारी किया गया है वह सही प्रकार से जारी किया गया है।

3(6)- यह गलत है कि मेडता से अजमेर जाने वाली सडक के उत्तरी तरफ मांगूराम पुत्र तिलोकचंद रेगर निवासी पादूकलां की भूमि हो व पादूकलां के खसरा नम्बर 979, 980, 981 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1909 व 1910 हो व मांगूराम द्वारा अपनी खातेदारी स्वामित्व की उक्त भूमि में से 80 फीट गुणा 80 फीट भूमि को प्रार्थी व नेमराज, देवीलाल, उछबकंवर व गजानन्द को विक्रय कर दी हो व उक्त भूमि का पट्टा जारी किया गया हो। बल्कि जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है उसका तथाकथित भूमि से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थीगण की भूमि उक्त भूमि से अलग है जो सडक के पास ही स्थित है जो आबादी भूमि है जिसको निस्तारण का ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार है तथा उक्त भूमि जिसका पट्टा अप्रार्थीगण के नाम से जारी किया गया है वह भूमि मेडता अजमेर रोड के उत्तर में स्थित है उसके आगे प्रार्थी की भूमि स्थित है। भूमि सडक सीमा में नहीं है व न ही सडक सीमा के चिपते प्रार्थी की भूमि है। प्रार्थी पट्टे की भूमि से किसी प्रकार का हितबद्ध व्यक्ति नहीं है निगरानी गलत आधारों पर पेश की गई है जो निरस्त होने योग्य है।

3(7)- यह गलत है कि पुनरीक्षण याचिका के लिए कोई गियाद निर्धारित नहीं हो बल्कि परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 113 के अनुसार जिसके संबंध में अन्यत्र किसी भी प्रकार की परिसीमा उपबन्धित नहीं की गई है उनके संबंध में परिसीमा तीन वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में ऐसी निगरानी पेश करने व कार्यवाही करने की अधिकतम समयावधि 3 वर्ष है पट्टा व प्रस्ताव दिनांक 15.01.1987 व दिनांक 16.01.87 को पारित किये गये हैं



विवादों के संबंध में निर्धारित निगरानी की अवधि दिनांक 14.01.1990 तक ही थी साथ ही प्रार्थी को उक्त प्रस्ताव व पटटे के संबंध में शुरु से जानकारी रही है तथा उक्त निगरानी से पूर्व प्रस्ताव व पटटे के संबंध में प्रार्थी ने पहले भी एक पंचायत अपील व पंचायत निगरानी पेश की गई जो निरस्त हो चुकी है। साथ ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवादित भूमि को लेकर दीवानी न्यायालय में विवाद भी विचाराधीन रहे जो 1999 से विचाराधीन रहे है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रस्ताव व पटटे के संबंध में जानकारी वर्षों पूर्व से रहती आयी है इसलिए निगरानी स्पष्ट रूप से मयाद बाहर है तथा करीब 34 वर्षों बाद उक्त निगरानी पेश की गई है जो केवल मात्र विधिक प्रावधानों के दुरुपयोग करने की नीयत से पेश की गई है जिसके लिए प्रार्थी को किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती है तथा इतने अधिक वर्षों पश्चात पटटा के प्रस्ताव व पटटे की शुद्धता न तो चुनोती दी जा सकती है व न ही किसी प्रकार का आदेश पारित किया जा सकता है। निगरानी मयाद बाहर है जो निरस्त होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में डी.एन.जे (राजस्थान) 2015 (4) पेज 1853, डी.एन.जे (राजस्थान) 2012 (2) पेज 603, डी.एन.जे (राजस्थान) 2012 (2) पेज 1002 तथा डी.एन.जे (राजस्थान) 2012 (1) पेज 507 नजीरे प्रस्तुत की।

3(8)-अप्रार्थीगण को जारी पटटासुदा भाग में से ग्राम पंचायत पादकलां द्वारा नाला निर्माण करवाने हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर अप्रार्थीगण द्वारा अपनी पटटासुदा भूमि में से कुछ भूमि नाला निर्माण हेतु डोनेट की गई जिसके संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 1/2006-07 दर्ज की गई व उक्त पत्रावली में डोनेशन स्वीकार करते हुए पटटे को भी स्वीकार किया गया है तथा भूमि को आबादी भूमि में होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त पटटा एक वैध पटटे की श्रेणी में आता है।

3(9)-प्रार्थी सहित विक्रेता मांगूराम इत्यादि ने जबरन अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने व अपने दरवाजे इत्यादि निकालने पर आमदा हुए तो अप्रार्थीगण ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेडता के समक्ष एक दीवानी वाद संख्या 38/2000 (25/1999) शकावत हुसैन व अन्य बनाम मांगूराम व अन्य के अनवान से पेश किया जो वाद विचाराधीन रहा जिसमें स्वयं प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 09 के रूप में पक्षकार रहा है जो वाद बाद सुनवायी के अप्रार्थीगण के पटटे को विधि अनुसार मानते हुए एवं अप्रार्थीगण को कब्जाधारी व वास्तविक स्वामी मानते हुए एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री दिनांक 23.01.2008 को पारित की गई है। उक्त वाद में तनकियात संख्या 1 अप्रार्थीगण वादीगण के पटटे के संबंध में बनायी गई थी तथा स्पष्ट रूप से उक्त तनकी को अप्रार्थीगण वादीगण के पक्ष में साबित माना गया जिसमें तत्समय के सरपंच नन्दसिंह के बयान न्यायालय के समक्ष करवाये गये जिनके द्वारा उक्त पटटा जारी करना स्पष्ट रूप से कथन किया व स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन किया व उस समय के सचिव गनीमोहम्मद के भी बयान करवाये गये थे जिन्होंने पटटा की खानापूर्ति करना व वार्ड पंच होना भी कथन किया है तथा गनीमोहम्मद ने भी पटटे पर अपने हस्ताक्षर होना व समस्त कार्यवाही करना व पटटा जारी करने से पहले रसीद काटना इश्तहार उजरदारी निकालना, मौका देखना बताया है। इससे स्पष्ट है कि पटटा जारी करने से पूर्व पत्रावली संधारित की जाकर सम्पूर्ण कार्यवाही करने के पश्चात ही पटटा जारी किया गया जिस पटटे को वैध होना ग्राम पंचायत स्वयं ने स्वीकार किया है तथा न्यायालय द्वारा उक्त विवादक अप्रार्थीगण के पक्ष में तय करते हुए उक्त भूमि को अप्रार्थीगण की पटटासुदा कब्जासुदा व स्वामित्व की सम्पत्ति होना माना गया है तथा इस संबंध में पत्रावली नहीं मिलने के संबंध में भी कथन प्रार्थी की और से न्यायालय में की गई जिसको भी सही नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में पटटे की वैधता दीवानी न्यायालय द्वारा की जा चुकी है साथ ही उक्त निर्णय के विरुद्ध अन्य प्रतिवादीगण द्वारा अपील जिला न्यायाधीश मेडता के समक्ष पेश की गई जो बाद में अन्तरित होकर अपर जिला न्यायाधीश मेडता के समक्ष दीवानी अपील डिक्री संख्या 10/2015 (02/2008) विचाराधीन रही जिसमें प्रार्थी तरदीदी प्रत्यर्थी संख्या 08 के रूप में पक्षकार रहा है जो अपील भी अपर जिला न्यायाधीश मेडता द्वारा दिनांक 23.12.15 को निरस्त की जा चुकी है। जिसमें भी विवादित भूमि अप्रार्थीगण की पटटासुदा होना साबित माना। साथ ही उक्त भूमि आबादी भूमि अप्रार्थीगण की पटटासुदा होना साबित माना। साथ ही उक्त भूमि आबादी भूमि होना साबित माना है पटटा वैध रूप से माना गया है जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील पेश नहीं की गई है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त पटटे व प्रस्ताव के संबंध में सन 1999 से जानकारी रही है व जानकारी से 22 वर्ष बाद उक्त निगरानी पेश की है जो स्पष्ट रूप से मयाद बाहर है। तथा पटटे की वैधता सिविल न्यायालय द्वारा तय करते हुए पटटे को वैध माना है ऐसी स्थिति में उक्त निगरानी किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है।

3(10)-उक्त पटटा व प्रस्ताव के विरुद्ध प्रार्थी सहित अन्य व्यक्तियों ने प्रशासन व स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति रियाबडी के समक्ष एक अपील दिनांक 13.12.2002 को पेश की जिसमें उक्त पटटा प्रस्ताव व पटटा को चुनोती दी गई जिसमें वाद सुनवायी के पंचायत समिति रियाबडी द्वारा अपील को मयाद बाहर मानते हुए व दीवानी वाद विचाराधीन होना मानते हुए निरस्त कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रार्थी सहित अन्य व्यक्तियों ने न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत एक पंचायत निगरानी संख्या 46/11 देवीलाल व अन्य बनाम शकावत हुसैन वगैरा के अनवान से पेश की जिसमें वर्तमान प्रार्थी उक्त निगरानी में प्रार्थी संख्या 3 के रूप में पक्षकार था जो निगरानी भी पटटा पत्रावली संख्या 147/14.10.1986 सकल्प संख्या 12 दिनांक 15.1.1987 एवं पटटा संख्या 121 दिनांक 16.1.1987 के विरुद्ध पेश की गई जिसमें वर्तमान निगरानी में बताये गये आधारों पर ही पूर्व निगरानी पेश की तथा उक्त भूमि को राजकीय राजमार्ग संख्या 89 का भाग बताते हुए व स्वयं की खरीदसुदा

भूमि उक्त राजमार्ग के चिपते स्थित होना बताते हुए व भूमि आवादी भूमि नहीं होना बताते हुए उक्त निगरानी पेश की साथ ही ग्राम पंचायत ने कोई पत्रावली नहीं बनाना व राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम 1961 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करने व पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित नहीं करने व फर्जी तौर से पट्टा जारी करने के आधार अंकित करते हुए एवं नियमों की पालना नहीं करना बताते हुए निगरानी पेश की गई व प्रस्ताव संख्या 12 व पट्टा दिनांक 16.1.1987 को निरस्त करने का अनुतोष चाहते हुए निगरानी पेश की जिसमें सुरेन्द्र प्रकाश स्वयं पक्षकार रहा जो निगरानी न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवायी के दिनांक 09.1.2012 को मरिट पर निर्णित करते हुए प्रार्थीगण की निगरानी को खारिज करने का निर्णय दिनांक 09.1.2012 को पारित किया गया। जिस आदेश के विरुद्ध प्रार्थी की ओर से अन्य किसी राक्षम उच्च न्यायालय के समक्ष न तो किसी प्रकार की अपील पेश की गई व न ही किसी प्रकार की रिट याचिका पेश की गई है ऐसी स्थिति में दिनांक 09.01.2012 का निर्णय अन्तिम हो चुका है तथा पट्टा व प्रस्ताव पूर्ण रूप से वैध प्रमाणित हो चुका है तथा पूर्व निगरानी व वर्तमान निगरानी में आधार समान है तथा पक्षकार भी समान है एवं विवाद भी समान है ऐसी स्थिति में पूर्व में इन्हीं विवादों का निस्तारण समक्ष न्यायालय द्वारा किया जा चुका है तथा उक्त निर्णय अन्तिम निर्णय हो चुका है जिसके विरुद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई है ऐसी स्थिति में पूर्व में निर्णित निर्णय पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेट) की श्रेणी में आता है तथा पूर्व निगरानी में इन्हीं आधारों पर प्रस्ताव व पट्टे की वैधता तय हो चुकी है जो निर्णय अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है वेसी स्थिति में उन्हीं आधारों पर व उसी विवाद के संबंध में पुनः विवाद या निगरानी पेश नहीं की जा सकती है। ऐसा प्रकरण पूर्व न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर नहीं किया जा सकता है तथा ऐसा करने न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है तथा इसी संबंध में पुनः यह निगरानी न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग है। ऐसी स्थिति में पूर्व न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर उक्त निगरानी किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है व धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों व दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर उक्त निगरानी किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है। पूर्व न्याय के सिद्धान्त आवेदन निगरानी रिट याचिका व पुनः विवाद निगरानी इत्यादि सभी पर लागू होती है तथा पूर्व में प्रस्ताव व पट्टा की शुद्धता के संबंध में विचारण होकर निर्णय पारित हो चुका है ऐसी स्थिति में उन्हीं आधारों पर पुनः निगरानी न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की श्रेणी में आती है तथा निगरानी पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में सी.पी.सी. 2019 (1) पेज 700, ए.सी.जे. 2019 (2) पेज 272 (सुप्रीम कोर्ट), सी.पी.सी. 2019 (सप्ली) पेज 284 (राजस्थान), सी.पी.सी. 2019 (4) पेज 671, सी.पी.सी. 2017 (3) पेज 795, ए.सी.जे. 2017 (2) पेज 507, सी.पी.सी. 2018 (2) पेज 532, सी.पी.सी. 2018 (3) पेज 425, सी.पी.सी. 2018 (1) पेज 671, सी.पी.सी. 2017 (4) पेज 696 नजीरे पेश की। इस प्रकार रेस ज्यूडिकेट सिद्धान्त के आधार पर उक्त निगरानी किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है तथा प्रस्ताव एवं पट्टा के संबंध में पूर्व में निर्णय पारित हो चुका है जो अन्तिम हो चुका है जिसके विरुद्ध कोई अपील या रिट याचिका पेश नहीं की गई है इसलिए उक्त निगरानी पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है।

3(11)- प्रार्थी को प्रस्ताव व पट्टे के संबंध में जानकारी 1999 से रही है। इसलिए निगरानी निर्धारित समयवाधि में पेश नहीं हुई है साथ ही प्रार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के विक्रेता मांगूराम के पुत्र घनश्याम ने अप्रार्थीगण की पट्टासुदा भूमि के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए अपनी भूमि के दक्षिण में अप्रार्थीगण की पट्टासुदा भूमि स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण की पीढियों की कब्जासुदा व पट्टासुदा भूमि है जिसके संबंध में एतराज करने का प्रार्थी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है।

3(12)- प्रार्थी व अन्य विक्रेता द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेडता के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 52/21 प्रकाशचंद बनाम हिदायत हुसैन व अन्य के अनवान पेश किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी रियाबडी द्वारा तहसीलदार रियाबडी से जांच करवायी गई जिस पर तहसीलदार रियाबडी के आदेश अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक पादकलां व पटवारी हल्का पादकला द्वारा दिनांक 10.06.2021 को मौके पर नाम कर अपनी मौका रिपोर्ट तहसीलदार रियाबडी के समक्ष पेश की जिस पर तहसीलदार रियाबडी द्वारा उपखण्ड अधिकारी रियाबडी के समक्ष रिपोर्ट पेश की जो नक्शा सहित पेश की जिसमें प्रार्थी सहित व्यक्तियों द्वारा मांगूराम से खरीदसुदा भूमि के चारों ओर पक्की दीवार बनी हुई होना व भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होना व उक्त भूमि का निकाल व रास्ता पश्चिम दिशा में स्थित रास्ता पर स्थित होना तथा उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होना एवं अप्रार्थीगण की पट्टासुदा भूमि होना एवं अप्रार्थीगण की पट्टा सुदा भूमि आबादी में होना व दुकान इत्यादी निर्मित होना अंकित किया गया है तथा पट्टा वैध होना व उक्त भूमि आबादी भूमि होना व अप्रार्थीगण की पट्टासुदा भूमि होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित माना है। तथा प्रार्थी की भूमि के दक्षिण में किसी प्रकार का कोई निकाल नहीं होना स्पष्ट रूप से अंकित किया है। प्रार्थी सहित अन्य श्रेणीगण ने पूर्व में अपनी भूमि के दक्षिण में निकाल निकालने की कोशिश तथा अप्रार्थीगण ने दीवानी वाद पेश किया जो स्वीकार हुआ एवं डिप्टी पारित की गई जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील भी निरस्त की गई एवं प्रार्थी सहित अन्य श्रेणीगण की भूमि के दक्षिण में अप्रार्थीगण की पट्टासुदा भूमि होना प्रमाणित माना है फिर भी प्रार्थी की नीयत अप्रार्थीगण की पट्टासुदा भूमि को हड़पने व अपनी भूमि का निकाल दक्षिण में स्थिति प्रार्थीगण की पट्टासुदा भूमि के दक्षिण में स्थित रोड की ओर निकालने की है इसी नीयत से मूलतः आधारों पर उक्त निगरानी पेश की है जो ग़याब वाद है तथा पूर्व न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है।

4- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत पादूकलां, पंचायत समिति रियांबडी के मिसल संख्या 147 दिनांक 14.10.1986 के जरिए पट्टा सं. 121 जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत पादूकलां से मूल रेकॉर्ड तलब किया गया जिन्होंने अपने पत्र क्रमांक: ग्रा.प.पा./2022-23/218 दिनांक 29.05.2022 के द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित किसी प्रकार का रेकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया। रेकॉर्ड के अभाव में नहीं माना जा सकता कि ग्राम पंचायत ने मिसल खोलकर पट्टाधारी से आवेदन प्राप्त कर विधिनुसार आपतियां आमंत्रित कर मौका हेतु पंच कमेटी नियुक्त कर विधिक प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया हो। क्योंकि मूल पट्टा व पट्टे से संबंधित मिसल ही ग्राम पंचायत के रेकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम के साथ कोई प्रस्ताव लिया गया हो ऐसा भी रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियमों की पूर्णतः पालना की हो। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पादूकलां पंचायत समिति रियांबडी द्वारा मिसल संख्या 147 दिनांक 14.10.1986 के द्वारा जारी पट्टा सं. 121 को निरस्त किया जाता है।

6- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मोहन लाल खटनावलिया)

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर